

(1)

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल, जिला-शहडोल (म0प्र0)

// विविध आदेश //

कमांक/सी.जे.एम./64/2026

शहडोल, दिनांक 30.09.2026

माह ~~अक्टूबर-नवम्बर 2026~~ में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिला जेल शहडोल में निरुद्ध बंदियों की कार्य दिवस में रिमाण्ड प्रकरणों की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्यालय शहडोल के न्यायालयों के रिमाण्ड प्रकरणों के संबंध में समय ठीक सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से सुनवाई की जावेगी अर्थात् :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	अक्टूबर-2026	नवम्बर-2026
1	2	3	4
1	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	01, 30, 31	23 व 30
2	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	26 से 29	12 से 14
3	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	22 से 24	16 से 20
4	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	12 से 16	25 से 28
5	श्रीमती अभिसारिका मांहुने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	05 से 09	02 से 05

नोट:-

1:- पीठासीन अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित होने वाले अभियुक्त/अभियुक्तगण से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली निष्पादन लिपिक नियत दिनांक को ठीक 10.30 बजे से 11.00 बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग में संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण को प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

(2)

- 3:- यदि अवकाश के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्य दिवस घोषित किया जाता है तब ऐसी स्थिति में आगामी कार्य दिवस के रिमाण्ड व्ही.सी. करने वाले न्यायाधीश द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित होने वाले अभियुक्त/गण से संबंधित रिमाण्ड
- 2:- पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थिति/प्रशिक्षण/स्थानांतरण पर होने की स्थिति में आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के प्रभार अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही संपादित किया जावेगा।

sd/-
(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

- 1:- कार्यालय-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- संबंधित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0 की ओर प्रेषित।
- ✓ 3:- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग शहडोल की ओर प्रेषित।
- 4:- जेल अधीक्षक, जिला-जेल शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/9/26
(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)